रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-20072026-274638
CG-KA-E-20072026-274638

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3687] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948
No. 3687] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3849(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20F की उपधारा (6) तथा धारा 2 के खंड (7A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) एतद्वारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह प्राधिकृत करता है कि नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन "सक्षम प्राधिकारी" तथा स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को "मध्यस्थ" के रूप में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होकर, स्तंभ (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजना तथा स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त कर्तव्यों एवं शक्तियों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह प्राधिकरण उक्त विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लोक प्रयोजनार्थ प्रदान किया जाता है।

तालिका

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	क्यात्संद्रा गुड्स स्टेशन (KDAG) पर डाउन मुख्य लाइन की ओर अतिरिक्त लूप लाइन का निर्माण	तुमकुरु	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तुमकुरु	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु

[फा. सं. W.271/सीएन/बीएनसी /2026-27/भूमि एसआरपी /1727]

परदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 13th July, 2026

S.O. 3849(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Construction of additional loopline on down main line side at Kyatsandra Goods station (KDAG)	Tumkuru	Special Land Acquisition Officer/Tumkur	Regional Commissioner Bangalore

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.20 19:45:53 +05'30'